Impact Factor (SJIF): 6.126 E-ISSN: 2583-1615

International Journal of Research in Academic World

Received: 19/March/2025 IJRAW: 2025; 4(4):225-227 Accepted: 26/April/2025

बाल श्रम के दुष्परिणामः एक विश्लेषण

*[1]डॉ. देवकी मीणा

*[1]सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर, राजस्थान, भारत।

सारांश

बच्चों के समुचित विकास के बिना किसी भी समाज एवं राष्ट्र का भविष्य अंधकार में है, क्योंकि बच्चे ही राष्ट्र के भविष्य की नींव होते हैं। बच्चे के नन्हे हाथों पर ही देश की तकदीर का भी विनिर्माण निर्भर करता है। बाल श्रम एक प्रथा अथवा रोजगार का साधन नहीं है। यह एक सामाजिक–आर्थिक समस्या है। जिसके भयानक दुष्परिणाम हमारे समाज को भुगतनें पड़ रहे हैं। भारत में बाल श्रम एक जटिल मुद्दा है। सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक आदि कारणों से बच्चे पढ़ने की उम्र में बाल श्रम से जुड़ जाते हैं। बाल मजदूरी तथा शोषण की निरंतरता देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डालती है। बच्चों पर बाल श्रम के अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन दुष्प्रभाव पड़ते हैं। जो कि पूरे राष्ट्र को प्रभावित करते हैं। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए ऐसे वातावरण की आवश्यकता है जहां उन्हें शिक्षा तथा प्रशिक्षण के उचित अवसर दिए जाएं ताकि वे भविष्य में समाज तथा देश के जिम्मेदार नागरिक बन सके। परंतु वर्तमान में बच्चों की एक बड़ी संख्या अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित है तथा बाल श्रमिक के रूप में कार्य करने को मजबूर है।

मुख्य शब्दः बाल श्रम, विघटन, समाजीकरण, सामाजिक गतिशीलता।

प्रस्तावना

औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के साथ ही बाल श्रम की भी शुरुआत हुई। औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में उत्पादन होने से काम करने के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता हुई। इस आवश्यकता की पूर्ति बाल श्रमिकों द्वारा की गई। भारत में 19वीं शताब्दी के मध्य में कपड़ा मिल, जूट, खदानों आदि में काम करने के फलस्वरूप बाल श्रम की शुरुआत हुई। जब से भारत में बाल श्रमिकों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। एक अनुमान के अनुसार पूरे विश्व में 15.20 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी में संलग्न है। जिनमें 6.4 करोड़ लड़कियां तथा 8.8 करोड़ लड़के हैं। इस प्रकार विश्व में प्रति 10 बच्चों में से एक बच्चा बाल मजदूर है। इसी प्रकार 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार भारत में 1.01 करोड़ बाल मजदूर है। जिनमें 56 लाख लड़के तथा 45 लाख लड़कियां है। भारत में बाल मजदूरों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। मजदूरी करने वाले बच्चों में 90.87 प्रतिशत बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में पाए गए हैं। जबकि 9.13 प्रतिशत बच्चे शहरी क्षेत्र में पाए गए हैं। यद्यपि विभिन्न प्रयासों से बाल श्रमिकों की संख्या में कमी आई है। फिर भी बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में अभी भी लगाया जा रहा है। इसके गंभीर दुष्परिणाम देश को प्रभावित कर रहे हैं।

बाल श्रम की अवधारणा

बच्चों के अधिकारों संबंधी अधिनियम के अनुच्छेद 1 में किसी बच्चे को 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है। बाल मजदूरी (निषेध एवं विनियम) अधिनियम, 1986 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम में नहीं लगाया जाना चाहिए अथवा किसी जोखिमपूर्ण रोजगार में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। बाल श्रमिक दो प्रकार के हो सकते हैं। एक वे जो बंधक मजदूर है और अपने माता–पिता द्वारा लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए काम करने को मजबूर है तथा दूसरे वें जो स्वयं किसी कारणवश या परिवार की गरीबी के कारण जीविकोपार्जन के कार्य में लगे हुए हैं।

*Corresponding Author: डॉ. देवकी मीणा

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की नीति के अनुसार बच्चों का यह अधिकार है कि उन्हें आर्थिक शोषण से बचाया जाए। उन्हें ऐसा कोई काम नहीं करने दिया जाए जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है अर्थात् बच्चों से कोई भी ऐसा काम न कराया जाए जो उनके आत्मिक, भौतिक, नैतिक, सामाजिक तथा उनके संपूर्ण विकास में बाधा डालता हो। बच्चों के अधिकारों की सामाजिक स्वीकृति के बावजूद अनेक देशों में बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार बाल श्रमिकों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। वर्तमान में बाल श्रमिक अनेक व्यवसाय में संलग्न है। जिनमें रसायन उद्योग जैसे ग्लास फैक्ट्री, रंग रोगन, सॉल्वेंट जैसे उद्योग, पत्थर तोड़ना, कालीन बनाना, माचिस उद्योग, ताला उद्योग, ईंट बनाना, कीमती पत्थरों का काम, मोटर वर्कशॉप, कृषि कार्य, होटल पर बर्तन साफ करना, सामान बेचना आदि प्रमुख है। इनमें रसायन उद्योग जैसे व्यवसाय अत्यधिक जोखिमपूर्ण है। अतः संगठित क्षेत्र की अपेक्षा असंगठित क्षेत्र में बाल श्रमिकों की संख्या अधिक पाई गई है।

बाल श्रम के दुष्परिणाम

भारत में बाल श्रम की समस्या के पीछे मुख्य कारण गरीबी है। गरीब परिवारों के बच्चों को अपने परिवार के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए छोटी उम्र में ही काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अन्य कारण व्यवसायियों का लालच है क्योंकि वे बाल श्रमिकों की मजबूरी का लाभ उठाकर सस्ता श्रम प्राप्त कर लेते हैं। जिससे गरीब परिवार गरीबी के चंगुल से कभी बाहर नहीं आ पाते तथा यह चक्र चलता रहता है। बाल श्रम के अंतर्गत बच्चे खतरनाक दशाओं में कार्य करने को मजबूर होते हैं। बाल श्रम बच्चे, समाज तथा राष्ट्र के लिए घातक है। भारत में बाल श्रम के अनेक दुष्प्रभाव समाज पर पड़ते हैं। इनमें से निम्न दुष्परिणाम प्रमुख है–

1. **आर्थिक दुष्परिणामः** बाल मजदूरी देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डालती है। बाल श्रम में संलग्न बच्चे शिक्षा से वंचित रहते हैं। जिसके फलस्वरुप कार्य बल अकुशल होता है और उत्पादकता में कमी आती है। साथ ही बाल मजदूरी से मानव पूंजी का भी नुकसान होता है, क्योंकि इसके कारण व्यक्ति में पर्याप्त कौशल का विकास नहीं हो पाता है। परिणामस्वरुप विश्व स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा करने तथा विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देश की क्षमता में कमी आती है। बाल मजदूरी करने वाले बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के स्थान पर जोखिम भरे श्रम कार्यों में लगे रहते हैं। जिससे उनका भविष्य का जीवन भी बर्बाद हो जाता है। परिणामस्वरुप उनके जीवन में गरीबी का दुष्चक्र निरंतर चलता रहता है। इसके कारण देश में गरीबी उन्मूलन की विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों में वांछित सफलता नहीं मिल पाती है।
2. **शैक्षिक दुष्परिणामः** भारतीय संविधान के अनुच्छेद–45 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। इसके लिए पर्याप्त योजनाएं तथा कार्यक्रम भी सरकार द्वारा क्रियान्वित किए गए हैं। इसके बावजूद बाल श्रम में लगे हुए बच्चे शिक्षा प्राप्त करने की उम्र में मजदूरी करने को मजबूर है। जिससे बुनियादी साक्षरता के साथ ही भविष्य के अवसर भी उनके लिए सीमित हो जाते हैं। अभिभावकों का निम्न शैक्षिक स्तर बाल श्रम को बढ़ावा देता है। ऐसी स्थिति में अशिक्षा तथा निम्न शिक्षा का चक्र चलता रहता है। परिवार में आने वाली पीढ़ी भी बाल श्रमिकों के रूप में सामने आती है।
3. **स्वास्थ्य पर दुष्प्रभावः** बाल मजदूरी करने वाले बच्चों को सामान्यतया अस्वस्थकर दशाओं तथा खतरनाक परिस्थितियों में लंबे समय तक कार्य करना पड़ता है। यह परिस्थितियां बच्चों पर गंभीर शारीरिक व मानसिक दुष्प्रभाव डालती है। इससे बच्चों में कमर दर्द, दृष्टि में कमी तथा आंखों की अन्य समस्याएं, भूख में कमी, कुपोषण, सामान्य कमजोरी, श्वसन संबंधी समस्याएं जैसे अस्थमा, तपेदिक, त्वचा संबंधी रोग, मानसिक आशक्तता, विकास अवरुद्ध होना आदि स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिलती है। बाल मजदूरों को अनेक बाल यौनाचार तथा वेश्यावृत्ति जैसे घिनौने कार्यों में धकेल दिया जाता है। जहां बच्चे का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जाता है।
4. **व्यैक्तिक दुष्प्रभावः** एक बालक का बचपन उसके खेलने–कूदने, मौज–मस्ती करने तथा सभी प्रकार की चिताओं से मुक्त रहने के लिए होता है। लेकिन बाल श्रमिक खेलने–कूदने, सभी वांछनी अवसरों तथा सुविधाओं व मनोरंजनात्मक गतिविधियों आदि से वंचित रहते हैं। उनका बचपन जोखिमपूर्ण अवस्था में काम करते हुए गुजरता है। जिससे उनके सपने, आकांक्षाएं घुट–घुटकर अपना दम तोड़ देती है। उनकी यह अवस्था उनके सामान्य विकास को अवरुद्ध करती है। बाल श्रमिकों का सामान्य समाजीकरण नहीं हो पाता, क्योंकि समाजीकरण की प्रक्रिया में बच्चा अपने परिवार, पड़ोस, मित्र–मंडली, स्कूल, कॉलेज आदि संस्थाओं में अपने सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों, परंपराओं, विचारों आदि को सीखता है, परंतु एक बाल श्रमिक सामाजिक संपर्क तथा भावनात्मक कल्याण से वंचित रहता है। ऐसी स्थिति में उसका सही समाजीकरण नहीं हो पता है।
5. **सामाजिक दुष्परिणामः** बाल श्रम एक सामाजिक समस्या है। जो पूरे समाज को प्रभावित करती है। बाल श्रम से सामाजिक विखंडन की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। एक बाल श्रमिक धीरे–धीरे किसी न किसी प्रकार के नशे का सेवन करने लगता है और नशे की यह आदत उसमें अपराध के प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। बाल श्रमिकों में सामान्य चोरी की आदत अंततः अन्य अपराधों को जन्म देती है,क्योंकि

बाल श्रमिकों को सामान्यतया कम वेतन दिया जाता है अथवा उनके मालिक द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इससे बाल श्रमिकों में समाज के प्रति घृणा के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। जिससे परिवार और सामुदायिक गतिशीलता में बाधा उत्पन्न होने लगती है। परिणामस्वरुप सामाजिक संरचनाएं टूटती जाती है। इससे समाज में अन्य सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है जो सामाजिक विघटन की प्रक्रिया को तीव्र करती है।

निष्कर्ष

बाल श्रमिक अन्य सामान्य बच्चों की अपेक्षा अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। जहां वे सभी वांछनीय अवसरों, सुविधाओं तथा अनिवार्य शिक्षा से वंचित है। आज बाल श्रम समस्या हमारे सामाजिक जीवन का एक अभिशाप है। संगठित श्रमिकों की तरह यह बच्चे अपने ऊपर होने वाले अत्याचार व शोषण के विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकते। अतः इन बच्चों को शोषण मुक्त जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित कराना हमारा दायित्व है। इस समस्या का उन्मूलन एक सामाजिक चुनौती है। इस समस्या का समूल नाश करना आवश्यक है, क्योंकि यह पूरे देश को दीमक की तरह खोखला कर रही है। चूंकि बच्चे ही देश का भविष्य है। अतः यह आवश्यक है कि सरकार अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर कार्य करें और अधिक प्रभावी तथा सफल योजनाओं एवं कार्यक्रमों को बाल श्रमिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करें। इसके लिए एक प्रभावी राष्ट्रीय बाल श्रम नीति बनाई जानी चाहिए। बच्चों के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने हेतु सामाजिक प्रतिबद्धता वाली स्थानीय योजनाएं आवश्यक है। जिनसे उनकी मूलभूत ज़रूरतें पूरी हो सके और उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सके।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. जैसवाल पी. (2000) चाइल्ड लेबरः ए सोशियोलॉजिकल स्टडी. न्यू दिल्लीः शिप्रा पब्लिकेशन.
2. कुमार बी. (2000) प्रॉब्लम्स ऑफ वर्किंग चिल्ड्रन. न्यू दिल्लीः एपीएच पब्लिशिंग कॉरपोरेशन.
3. कोजर, डी.सी. (1974) औद्योगिक मनोविज्ञान. पटनाः बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी.
4. शर्मा, ए.के. (2007) चाइल्ड लेबर. बैंगलोरः अनमोल पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड.
5. महाजन, पी. तथा चंद, एस. (2006) स्टेट्स ऑफ़ चाइल्ड लेबर न्यू दिल्लीः जैन बुक एजेंसी.
6. Child labour in India.'' Child labour. http://www.childlabour.in/-childlabour-in-india.htm.7 Mar.2011.
7. https://violenceagainstchildren.un.org2020
8. A Child's New Life Foundation: Hope for India's Desperately Poor Children.http://www.achildsnewlife.org/A